संख्या-216/2019/2552/22-2-2019-17(716)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयनरायन सिंह पुत्र स्व0 विहारी सिंह निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक दिनांक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयनरायन सिंह पुत्र स्व0 विहारी सिंह, जो बिजवार, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा लाईट के विवाद को लेकर दिनांक 26.05.2011 को बन्दूक से गोली मारकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-115/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-09), सीतापुर के आदेश दिनांक 24.12.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक 08 वर्ष 01 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थकप्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19.01.2019 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयनरायन सिंह (बन्दी संख्या-513/2016) पुत्र स्व0 विहारी सिंह निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-216/2019/2552(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in